(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बारां

पीठासीन अधिकारी बृजमोहन बैरवा (आर.ए.एस.)
इस्तगासा गुण्डा एक्ट प्रकरण संख्या :– 21/2019
इस्तगासा गुण्डा एक्ट प्रकरण संख्या :– 07/2021

बउनवान

सरकार जर्ये थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली, बाराँ जर्ये जिला पुलिस अधीक्षक, बारॉ
(सायल)

बनाम

बनवारी उर्फ रामू पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति सोनी निवासी श्री जी चौक, बाराँ जिला बाराँ
(गैरसायल)

इस्तगासा अन्तर्गत राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा–3

उपस्थिति :– 1– अभियोजन अधिकारी (सायल)
2– श्री पिंकेश जगरवाल अभिभाषक (गैरसायल)

निर्णय दिनांक 08.02.2022

वाक्यात मामला इस्तगासे इस प्रकार है कि गैरसायल बनवारी उर्फ रामू पुत्र लक्ष्मीनारायण सोनी निवासी श्री जी चौक, बाराँ जिला बाराँ के विरूद्व जिला पुलिस अधीक्षक, बारॉ द्वारा राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा–3 के अन्तर्गत प्रेषित किये गये है।

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि गैरसायल के खिलाफ थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली, बाराँ ने जिला पुलिस अधीक्षक महोदय, बारां को रिपोर्ट की है कि पुलिस थाना कोतवाली जिला बारॉ क्षेत्र के अन्तर्गत गैरसायल आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है। यह व्यक्ति जुआ सट्टा, अवैध मादक पदार्थ एवं हथियार रखने के अपराधों का आदि है। इसके विरूद्व पुलिस थाना कोतवाली जिला बाराँ में वर्ष 2014 से 2021 तक की अवधि में कुल 16 आपराधिक प्रकरण अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ(14), एनडीपीएस(01) एवं आर्म्स एक्ट(01) के तहत दर्ज हुये है। कुल 13 प्रकरणों में गैरसायल न्यायालय से सजायाब हो चुका है एवं कुल 03 प्रकरण पेंडिंग कोर्ट है। फिर भी इसकी आपराधिक गतिविधियॉ जारी है तथा लगातार अपराधों की ओर अग्रसर हो रहा है। इसकी आम शौहरत भी ठीक नहीं है। इसका आम जनता में भय एवं आतंक बना हुआ है। इसके विरूद्व कोई भी व्यक्ति रिपोर्ट करने अथवा गवाही देने से डरता है। इसकी इन आपराधिक गतिविधियों के कृत्य से लोक व्यवस्था एवं शांति को खतरा उत्पन्न हो रहा है। कानून व्यवस्था एवं लोकशान्ति को दृष्टिगत रखते हुये इसके क्रियाकलापों पर अंकुश लगाना आवश्यक है। अतः उपरोक्त समाजकंटक के विरूद्व राजस्थान गुण्डा अधिनियम के तहत कार्यवा[illegible] इस्तगासे प्रेषित कर विधिवत कार्यवाही करते हुए इसको जिले की सीमा से निष्कासन किया [illegible]।

इस प्रकार गैरसायल द्वारा आपराधिक का[illegible] किये जिससे सार्वजनिक शांतिभंग होने से आम जनता पर भय का वातावरण [illegible] है। गैरसायल को उक्त प्रकरणों में न्यायालय द्वारा दोष सिद्व भी ठहराया जाकर सजायाब किया जा चुका है। यह गुण्डा की परिभाषा में आता है। अतः इसके विरूद्व अन्तर्गत राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 धारा–3 के तहत कार्यवाही की जावे। इस्तगासे विरूद्व गैरसायल के पेश कर, उक्त आपराधिक कृत्य में मशगूल होने से गैरसायल को गुण्डा घोषित किया जाकर, उसे राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा–3 के अन्तर्गत जिले से निष्कासित करने के आदेश चाहे गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brij Mohan Bairwa
Date: 2022.03.14 15:56:58 IST
Reason: SelfAttested

इसके उपरांत गैरसायल के विरूद्व इस्तगासे दिनांक 07.11.2019 एवं दि. 06.09.2021 को दर्ज रजिस्टर किये गये तथा पुलिस द्वारा प्रस्तुत इस्तगासे एवं साक्ष्य के सारगर्भित बिन्दुओ को दर्शाते हुए गैरसायल को आहूत किया गया तथा गैरसायल की तलबी की गई। गैरसायल द्वारा जर्ये अभिभाषक उपस्थिति दी गई। गैरसायल के अभिभाषक द्वारा प्रकरणों में जवाब प्रस्तुत नहीं कर अंतिम बहस सुनी जाने हेतु निवेदन करने पर प्रकरणों में गैरसायल का जवाब बन्द किया जाकर उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

अभियोजन अधिकारी का मुख्य कथन है कि चूंकि गैरसायल के विरूद्व पुलिस थाना कोतवाली जिला बारॉं में वर्ष 2014 से 2021 तक की अवधि में कुल 16 आपराधिक प्रकरण अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ(14), एनडीपीएस(01) एवं आर्म्स एक्ट(01) के तहत दर्ज हुये है। जिनमें से कुल 13 प्रकरणों में अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ के तहत गैरसायल न्यायालय से सजायाब हो चुका है एवं कुल 03 प्रकरण पेंडिंग कोर्ट है। इसकी दिनों–दिन आपराधिक गतिविधियॉ बढती जा रही है जिससे समाज के व्यक्तियों व आम जनता में भय, आतंक सम्पति का खतरा निरन्तर बढता जा रहा है। इसकी आपराधिक गतिविधियों पर कोई अंकुश नही लग रहा है। इसके विरूद्व लोग रिपोर्ट करने में कतराते है एवं साक्ष्य देने से भी डरते है। इसकी आपराधिक गतिविधियॉ निरन्तर जारी है। इसकी आम शौहरत ठीक नहीं है। अपराधी का स्वतन्त्र रहना लोकशांती एवं जनहित में हितकर प्रतीत नहीं है। इस आपराधिक सजायाबी रिकार्ड के आधार पर गैरसायल के विरूद्व राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा–3 के अन्तर्गत अपराध प्रमाणित है। उक्त केसो की पुष्टि सरकार पक्ष की ओर से प्रस्तुत अभिलेखों से होती है। यह व्यक्ति आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है। अतः गैरसायल को जिला बदर किया जावे।

गैरसायल के अभिभाषक द्वारा उपस्थित होकर निवेदन किया गया कि मेरे विरूद्व पुराने प्रकरण थाने में दर्ज है और नया कोई प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है। मैं शांतिपूर्वक मजदूरी करके अपने परिवार का पालन–पोषण करता हूँ। मेरे तारीख पेशी पर आने से उस दिन की मजदूरी भी छूट जाती है। मेरे विरूद्व पुलिस थाना कोतवाली बारॉं द्वारा गुण्डा एक्ट की कार्यवाही इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है, जो निरस्त की जावें।

अभियोजन अधिकारी पक्ष सरकार एवं गैरसायल के अभिभाषक की बहस सुनी तथा इस्तगासे में प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया गया। पुलिस थाना कोतवाली जिला बारॉं में वर्ष 2014 से 2021 तक की अवधि में कुल 16 आपराधिक प्रकरण अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ(14), एनडीपीएस(01) एवं आर्म्स एक्ट(01) के तहत दर्ज हुये है। जिनमें से कुल 13 प्रकरणों में अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ के तहत गैरसायल न्यायालय से सजायाब हो चुका है एवं कुल 03 प्रकरण पेंडिंग कोर्ट है।

अतः उक्त समस्त तथ्यों के अनुसार यह साबित होता है कि बनवारी उर्फ रामू पुत्र लक्ष्मीनारायण सोनी निवासी श्री जी चौक, बारां जिला [illegible] द्वारा उक्त अपराध किए गए है। जिसके आधार पर गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 2 (आ) की परिभाषा में आना पूर्णतया सिद्व है, क्योंकि धारा 2 (आ) के प्रावधान के अनुसार गैरसायल को 13 प्रकरणों में न्यायालय से सजायाब किया जा चुका है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brij Mohan Bairwa
Date: 2022.03.14 15:56:58 IST
Reason: SelfAttested

अतः गैरसायल बनवारी उर्फ रामू पुत्र लक्ष्मीनारायण सोनी निवासी श्री जी चौक, बारॉं जिला बारॉं को सजायाबी रिकार्ड के आधार पर राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 (आ) के तहत गुण्डा घोषित करता हूॅ तथा राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 (3) (क) के प्रावधानों के अन्तर्गत बारां जिले के पुलिस थाना क्षेत्र कोतवाली बारॉं से 15 दिन के लिए गैरसायल को निष्कासित किये जाने का आदेश देता हूँ।

गैरसायल बनवारी उर्फ रामू पुत्र लक्ष्मीनारायण सोनी निवासी श्री जी चौक, बाराँ जिला बाराँ को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के तहत पुलिस थाना कोतवाली जिला बाराँ क्षेत्र से 15 दिन के लिए निष्कासित किया जाता है। गैरसायल उक्त अवधि में अपनी उपस्थिति प्रत्येक दिवस थानाधिकारी पुलिस थाना, सीमलिया जिला कोटा को देगा। इस अवधि में अपराधी ऐसा कोई आचरण नहीं करेगा जो व्यक्तियों के प्रतिकूल एवं सामान्य व्यवहार संहिता के विरूद्व हो अर्थात् इस अवधि में पूर्ण सच्चरित्र रहेगा। किसी आपराधिक गतिविधि में भाग नहीं लेगा।

गैरसायल के विरूद्व यह आदेश दिनांक 24.02.2022 से प्रभावी होगा।

नियमानुसार तहरीरे जिला पुलिस अधीक्षक, बारां एवं थानाधिकारी पुलिस थाना सीमलिया जिला कोटा को दी जावें। थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली जिला बारॉ को तहरीर दी जावे, जिसमें यह लिखा जावें कि गैरसायल को उक्त आदेश की पालना में जिले के पुलिस थाना कोतवाली जिला बारॉ क्षेत्र से बाहर निष्कासित कर, थानाधिकारी पुलिस थाना सीमलिया जिला कोटा के सुपुर्द कर, पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 08.02.2022 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली बाद तामील तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(बृजमोहन बैरवा)
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ

Signature Not Verified

Digitally signed by Brij Mohan Bairwa
Date: 2022.03.14 16:56:58 IST
Reason: SelfAttested